राजस्थान सरकार

य उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

अधिकारी :– बन्शी धर योगी आर०ए०एस०

ंख्या :– 46/2024 धारा 111

रामलाल S/o गीतबक्ष जाट नि० थाणा - तह० करेड़ा

बनाम

गजानन्द पुत्र मोहनलाल जाट नि० थाणा - तह० करेड़ा - आदि

विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक 18/6/24

र्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०राज०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत न किया कि ग्राम उन्हाली का खेड़ा पटवार हल्का थाणा तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खाता संख्या 113 आराजी नम्बर 2691, 2718/1, 2719/1, 2720/1, 2721, 2723, 2724, 2725, 2728, 2729, 4529/2725, ... कुलकिता 11 रकबा 1.8843 हैक्टेयर भूमि वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन ंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की के आदेश प्रदान कराये जावे।

तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30/1/24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को ार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते कि की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

र्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम उन्हाली का खेड़ा पटवार हल्का थाणा तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या ी नम्बर 2691, 2718, 2719, 2720, 2721, 2723, 2724, 2725, 2728, 2729, 4529/2725, ... कुलकिता 11 रकबा 1.8843 हैक्टेयर भूमि तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक. ाड को 750/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर ीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील चिन्ह को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल पर पत्थरगढी नही की जावे।

प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.06.21 15:55:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

:– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा